



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9341

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 41621 / 2025

जान मोहम्मद उर्फ जानू.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य.....प्रतिवादी

आवेदक के लिए अधिवक्ता : अंकित अग्रवाल, दिलीप कुमार पटेल

प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थी के लिए विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री आशीष को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से दाखिल किया गया है, जिसमें उसे पुलिस थाना कोतवाली नगर, जिला बुलंदशहर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 1041/2025, स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21/22 के तहत जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि आवेदक के कब्जे से 125 ग्राम अल्प्राजोलम की बरामदगी अभिकथित है। वास्तव में ऐसी कोई बरामदगी आवेदक से नहीं हुई। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि ऐसी बरामदगी स्वतंत्र साक्षी द्वारा समर्थित नहीं है, उसे अपराध में मिथ्या रूप से फंसाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आगे यह प्रतिवाद किया गया कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के उपबंधों का कठोरता से पालन नहीं किया है। इसमें रासायनिक विश्लेषक की कोई रिपोर्ट नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न एवं प्रताड़ित करने के उद्देश्य से वर्तमान अपराध में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। आवेदक, जो दिनांक 25.10.2025 से जेल में निरुद्ध है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक का चार अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिनका सष्टीकरण जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र में दिया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए प्रतिवाद किया कि आवेदक की निर्दोषता का न्यायनिर्णयन विचारण के चरण से पूर्व नहीं किया जा सकता, जो विनिषिद्ध की आपूर्ति में संलिप्त है, अतः आवेदक किसी भी प्रकार की रियायत का हकदार नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न हो जाएगा।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

मामले के गुणागुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अतः आवेदक **जान मोहम्मद उर्फ जानू**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संतुष्टि के लिए समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो प्रतिभूतियों को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

1. आवेदक जांच या विचारण के दौरान साक्षियों को धमकाकर/दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक बिना किसी स्थगन के, पूरी ईमानदारी से विचारण में सहयोग करेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा या कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त के भंग होने की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा। बंधपत्र स्वीकार करने से पूर्व, संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा प्रतिभूतियों की पहचान, स्थिति एवं निवास का प्रमाण-पत्र सत्यापित किया जाएगा।

14 जनवरी, 2026

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।